

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स0सु0 विविध-(बैठक)-05-27 / 2018, 7411...../परि0 पटना, दिनांक-23/11/18

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त
-सह-
सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति, बिहार।

विषय- जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने एवं बैठक की कार्यवाही नियमित रूप से प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग- पत्रांक 5910 दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक 7005 दिनांक 02.11.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया सन्दर्भ करें जिसके द्वारा आपसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने हेतु अनुरोध किया गया था।


उल्लेखनीय है कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-23 (1), 24 के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित है तथा उक्त नियमावली के नियम, 26 (4) के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राज्य के अधिकांश जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की तीन त्रैमासिक बैठक होने की सूचना अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र में इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रतिकूल टिप्पणियाँ अंकित की गई है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने तथा बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,


राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स0सु0 विविध-(बैठक)-05-27/2018,/परि0 पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त

-सह-

सदस्य सचिव,

कार्यपालक समिति,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

समी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति, बिहार।

विषय- जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने एवं बैठक की कार्यवाही नियमित रूप से प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग- पत्रांक 5910 दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक 7005 दिनांक 02.11.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया सन्दर्भ करें जिसके द्वारा आपसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-23 (1), 24 के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित है तथा उक्त नियमावली के नियम, 26 (4) के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राज्य के अधिकांश जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की तीन त्रैमासिक बैठक होने की सूचना अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र में इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रतिकूल टिप्पणियाँ अंकित की गई है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने तथा बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,


ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक-स0सु0 विविध-(बैठक)-05-27/2018, 74.1.1...../परि० पटना, दिनांक-23/11/18.

प्रतिलिपि-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति से बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु ससमय संचिका का उपस्थापन सुनिश्चित करें।

2. आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।



राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।